गोपनीय/व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण/अति महत्वपूर्ण/तत्काल निर्गत/क्यूमेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

संख्याःडीजी–परिपत्र सं0 42 2018 लखनऊःदिनांकःजुलाई 29 2018

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– **आपराधिक कृत्यों में कतिपय पुलिस कर्मियों के संलिप्त होने के सम्बन्ध में निगरानी एवं कार्यवाही।**

———

आप अवगत हैं कि पुलिस बल एक अत्यंत अनुशासित विभाग है तथा किसी भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा कारित कोई भी आपराधिक/गैरकानूनी कृत्य सम्पूर्ण विभाग की छवि को धूमिल करता है।

2– किन्तु, विगत कुछ दिनों में प्रदेश के कतिपय जनपदों के पुलिस कर्मचारियों के विभिन्न आपराधिक कृत्यों में संलिप्त रहने की घटना प्रकाश में आयी है। कुछ प्रकरणों में उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आपराधिक कृत्य कारित किया जाना पाया गया है, वहीं किन्ही प्रकरणों में उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आपराधिक कृत्यों में सम्मिलित होने के तथ्य प्राप्त हुये हैं।

3– अतः आप अपने जनपद के समस्त पुलिस कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों एवं अन्य संगत अभिलेखों का परीक्षण करा लें कि क्या कोई पुलिस कर्मचारी परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से किसी आपराधिक कृत्य में संलिप्त रहा है? यदि कोई कर्मचारी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा हो तो उसके विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करायें तथा उन पर सदैव सर्तक दृष्टि रखी जाये एवं स्थानीय अभिसूचना तंत्र के सहयोग से ऐसे कार्मिकों को चिन्हित कराकर उनकी गतिविधियों के सम्बन्ध में गोपनीय रूप से सूचनायें भी एकत्रित की जायें ताकि वे किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य अथवा असमाजिक गतिविधियों में पुनः संलिप्त न होने पायें।

4– जब भी किसी अन्य इकाई/जनपद में ऐसे कर्मचारी का स्थानान्तरण हो तो सम्बन्धित इकाई/जनपद के प्रभारी को एक **गोपनीय नोट** के माध्यम से उसके ऊपर सतर्क दृष्टि रखने हेतु अनुरोध कर लिया जाये।

5– आपराधिक कृत्यों में किसी भी पुलिस कर्मचारी के संलिप्त होने की प्रवृत्ति को रोकना भी विभाग का दायित्व है। अतः समय–समय पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम (**Orientation Programmes**) का आयोजन कर पुलिस कर्मचारियों को सेवा सम्बन्धी कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु जागरूक किया जाये। उक्त के निमित्त निम्नानुसार कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

- समय–समय पर ऐसे उन्मुखीकरण कार्यक्रमों (**Orientation Programmes**)/कार्यशालाओं (**Workshop**) का आयोजन करायें जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, उज्जवल छवि के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं समाज विज्ञानियों को आमंत्रित कर सन्दर्भित विषय वस्तु पर उनके व्याख्यान आयोजित करायें तथा स्वयं भी कर्मचारियों का मार्गदर्शन करें।

Scanned by CamScanner

- प्रत्येक कर्मचारी को पुलिस विभाग की गरिमा एवं संस्थागत मूल्यों से परिचय करायें। उन्हें इस तथ्य का बोध करायें कि विभाग का प्रत्येक कर्मचारी विभाग के लिए अहम स्थान रखता है। जहॉ उसकी उपलब्धियों से पूरा विभाग लाभान्वित होता है वहीं उसके द्वारा कारित नियमविरूद्ध/गैरकानूनी कृत्य सम्पूर्ण विभाग के लिए असहज स्थिति उत्पन्न करता है।
- उन्हें विभागीय एवं शासकीय सेवानियमों/प्रक्रियाओं का सम्यक ज्ञान कराया जाये।
- कर्मचारियों में टीम भावना एवं स्वस्थ सामाजिक सरोकार को बढ़ावा दिया जाये।
- विभाग की सफलताओं एवं चुनौतियों को कर्मचारियों के साथ साझा करें।
- अन्तर्क्रियात्मक गोष्ठी कर कर्मचारियों को बहुमूल्य/प्रायोगिक सुझावों को देने के लिए प्रेरित करें तथा यथावश्यक उन्हें क्रियान्वित करें।
- अच्छी छवि एवं सराहनीय कार्य करने वाले को पुरस्कृत कर उनकी नजीर प्रचारित प्रसारित करें।
- मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से कर्मचारियों के कल्याणार्थ लागू योजनाओं एवं निर्गत संदेशों से उन्हें लाभान्वित कराया जाये।

मुझे विश्वास है कि इन प्रयासों से कर्मचारियों में कार्य संस्कृति स्वस्थ एवं समृद्ध होगी। सेवानियमों के प्रति सम्मान एवं उनके अनुसरण को एक नयी दिशा एवं ऊर्जा मिलेगी तथा कर्मचारियों में यदा–कदा परिलक्षित होने वाली आपराधिक प्रवृत्तियों का प्रभावी विमुखीकरण होगा।

29.7.19

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

Scanned by CamScanner